पत्र संख्या–वनभूमि–18 / 2018–2662 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–16 /07/2019

विषय :– **जमशेदपुर वन प्रमंडल अंतर्गत् पिपला मोड़ (NH-33) से घोड़ाबांधा होते हुए गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अधिसूचित वनभूमि 16.04 एवं जंगल–झाड़ी 0.71 हे0 कुल–16.75 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–4896 दिनांक–06.12.2018 द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज–I की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–689 दिनांक–21.06.2019 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्ताव में सन्निहित कुल–16.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि को विमुक्त किया जाता है। अवशेष 0.71 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1076 / रा0 दिनांक–16.04.2010 के अनुसार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा किया जाना है।

कृपया सरकार के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

16/7/19
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18 / 2018– 2662 व0प0, राँची दिनांक– 16.07.2019

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड–834002 को स्टेज–I के अनुपालन प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

16/7/19
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18 / 2018– 2662 व0प0, राँची दिनांक– 16.07.2019

प्रतिलिपि–सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयक परियोजना में सन्निहित 0.71 हे0 जंगल--झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

16/7/19
विशेष कार्य पदाधिकारी।

 Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2018– 2662 व०प०, राँची दिनांक– 16.07.2019

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर, झारखण्ड–831001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/19

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वनभूमि–18/2018– 2662 व०प०, राँची दिनांक– 16.07.2019

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website **"forest.jharkhand.gov.in"**पर Uploadकरने हेतु प्रेषित।

16/07/19

विशेष कार्य पदाधिकारी।

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com